वार्षिक प्रतिवेदन
2002-2003

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

परिचय

औद्योगीकरण के सतत विस्तार तथा जनसंख्या में लगातार वृद्धि के फलस्वरूप जल एवं वायु प्रदूषण की समस्या व्यापक स्वरूप धारण करती जा रही है। इस संदर्भ में समुचित पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करना और अनेकानेक स्त्रोतों से होने वाले प्रदूषण पर पर्याप्त नियंत्रण रखना, आर्थिक विकास से संबंधित सभी नीतियों का एक अत्यन्त आवश्यक आयाम बन गया है। तत्संबंधी विभिन्न प्रयासों में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भी अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर रहा है।

केन्द्रीय जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 में निहित दायित्वों के निर्वहन में, राज्य सरकार द्वारा फरवरी 1975 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का गठन किया गया। मण्डल का मुख्य उद्देश्य जल एवं वायु प्रदूषण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का नियंत्रण एवं नियमन सुनिश्चित करना है। मण्डल मूलतः निम्नलिखित अधिनियमों एवं इन अधिनियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचनाओं तथा नीति-निर्देशों की अनुपालना कराने के लिए उत्तरदायी है :-

1. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974
2. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977
3. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981
4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
5. लोकदायित्व बीमा अधिनियम, 1991

मण्डल का गठन

मण्डल का गठन राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय जल अधिनियम में तत्संबंधी वर्णित प्रावधानों के अनुसार किया गया है। मण्डल में पूर्णकालिक अध्यक्ष के अतिरिक्त एक पूर्णकालिक सदस्य-सचिव तथा 14 अंशकालिक सदस्य मनोनीत हैं वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान मण्डल का गठन निम्नानुसार रहा :-

1. श्रीमती कुशलसिंह, अध्यक्ष
2. श्री सी.एस. रत्नासामी, सदस्य-सचिव (दिनांक 1.4.2003 से 27.3.2003 तक)
   श्री जी.वी. रेड्डी, सदस्य-सचिव (दिनांक 28.3.2003 से 31.3.2003 तक)
3. पर्यावरण विभाग का प्रतिनिधी (उप सचिव के स्तर का)
4. शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग
5. आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर
6. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
7. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
8. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
9. महापौर, नगर निगम, जोधपुर
10. अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, उदयपुर
11. अध्यक्ष, नगर परिषद, ब्यावर (अजमेर)
12. अध्यक्ष, नगर पालिका, मकराना (नागौर)
13. श्री जे.पी. कपूर, सेवानिवृत्त चीफ कंजरवेटर ऑफ फोरेस्ट एवं पूर्व विशेषाधिकारी, पर्यावरण विभाग तथा पूर्व बोर्ड सदस्य
14. डॉ. (श्रीमती) विमलेश चौधरी, जोधपुर
15. मुख्य अभियन्ता, डिस्काम- जयपुर
16. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (रीको), जयपुर

मण्डल का कार्यक्षेत्र समूचा राजस्थान प्रदेश है। इसका मुख्यालय जयपुर में है तथा जयपुर सहित कुल 9 स्थानों पर इसके 10 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हैं। मुख्यालय पर स्थापित केन्द्रीय प्रयोगशाला के अतिरिक्त राज्य के चार अन्य स्थानों पर मण्डल की क्षेत्रीय प्रयोगशालायें भी हैं। मण्डल में विभिन्न स्तरों के कुल मिलाकर 206 अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं जो तकनीकी विधि, लेखा एवं सामान्य संवर्गों में विभाजित हैं। राज्य मण्डल का संगठनात्मक स्वरूप परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है।

वर्ष 2002-2003 के दौरान सम्पूर्ण मण्डल की दो बैठकें दिनांक : 27.8.2002 एवं 30.1.2003 को आयोजित की गई

मण्डल की गतिविधियां

सम्मति प्रबंधन, परिसंकटमय अपशिष्टों हेतु प्राधिकार, उद्योगों से उत्सर्जित प्रदूषित जल एवं वायु की जांच, पर्यावरण संरक्षण के प्रति चेतना एवं जल तथा वायु अधिनियम में उल्लिखित कृत्यों का निर्वहन मण्डल की प्रमुख गतिविधियां हैं। वर्ष 2002-2003 के दौरान मण्डल की तत्संबंधी कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

सम्मति प्रबंधन

सम्मति की प्रकृति	1.4.2002 को लंबित आवेदन पत्रों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	योग	वर्ष के दौरान निष्पादित आवेदन पत्रों की संख्या	31.3.2003 को लंबित आवेदन पत्रों की संख्या
स्थापना (जल अधिनियम)	168	474	642	469	173
स्थापना (वायु अधिनियम)	105	568	673	543	130
संचालन (जल अधिनियम)	1325	2155	3480	2549	921
संचालन (वायु अधिनियम)	609	2162	2771	2197	574

परिसंकटमय अपशिष्ट प्राधिकार प्रबंधन

परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1989 के अन्तर्गत प्राधिकार संबंधित कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है :-

1.4.2002 को लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या	134
वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	62
वर्ष के दौरान निष्पादित आवेदन पत्रों की संख्या	114
परिसंकटमय अपशिष्ट के निष्पादन हेतु स्वयं के परिसर में वर्ष के दौरान सुरक्षित निष्पादन स्थल विकसित करने वाली इकाइयों की संख्या	82

जैव चिकित्सीय अपशिष्ट

जैवीय चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1998 के अन्तर्गत प्राधिकार संबंधित कार्यवाही की विवरण निम्नानुसार है :-

1.4.2002 को लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या	16
वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	379
वर्ष के दौरान निष्पादित आवेदन पत्रों की संख्या	289
वर्ष के दौरान सामूहिक जैव चिकित्सीय अपशिष्ट सुविधाएं	1
जैव चिकित्सीय अपशिष्ट निष्पादन हेतु स्वयं की सुविधाएं	2

प्रदूषित जल एवं वायु की जांच

वर्ष के दौरान कुल 1990 निरीक्षण किये गये। इस दौरान एकत्रित एवं विश्लेषित विभिन्न प्रकार के नमूनों का विवरण निम्नानुसार है :-

नमूने का प्रकार	विश्लेषित नमूनों की संख्या
उच्छिष्ठ/जल	2323
उत्सर्जन/वायु	22612

जनचेतना

पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनचेतना जाग्रत करने एवं प्रदूषण संबंधी शिकायतों के निराकरण हेतु मण्डल में प्रदूषण जागरुकता एवं सहायता केन्द्र कार्यरत है।

इस केन्द्र में वर्ष के दौरान कुल 111 शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से 62 शिकायतों के संबंध में अंतिम कार्यवाही वर्ष के दौरान ही पूर्ण की गई, जबकि शेष शिकायतों में निरीक्षण, जांच इत्यादि कार्यवाही विभिन्न स्तरों पर जारी थी।

राज्य मण्डल द्वारा ओजोन क्षरण सब्सटैंस विषय पर केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार की ओजोन सैल के सहयोग से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 16.9.2002 को किया गया जिसमें बड़ी संख्या में उद्योगों के प्रतिनिधियों एवं विषय विशेषज्ञों ने भाग लिया।

सामुदायिक उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र

1. जोधपुर में सामुदायिक उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र हेतु स्थापित ट्रस्ट द्वारा संयंत्र निर्माण प्रगति पर है। राज्य मण्डल में ट्रस्ट को अब तक 2.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।
2. जसोल में सामुदायिक उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र स्थापित करने के लिए मण्डल द्वारा स्थापना हेतु सम्मति प्रदान की जा चुकी है। राज्य मण्डल द्वारा अब तक 50.00 लाख रुपये की राशि जारी की गई है एवं सामुदायिक उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र हेतु स्थापित ट्रस्ट द्वारा संयंत्र निर्माण कार्य हेतु कार्य आदेश दिनांक 9.8.2002 को दिया गया। सामुदायिक उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
3. बिठुजा में सामुदायिक उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र की स्थापना हेतु ट्रस्ट ने नीरी, नागपुर द्वारा तैयार फिजिबिलिटी रिपोर्ट मण्डल को प्रस्तुत कर दी है। ट्रस्ट ने सामुदायिक उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र की स्थापना हेतु 42 बीघा जमीन खरीद ली है।
4. जयपुर के निकट मानपुर माचेड़ी गांव में चमड़ा उद्योगों हेतु एक सामुदायिक उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र की स्थापना पूर्ण होकर कार्यरत है।
5. भिवाड़ी में सामुदायिक उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र स्थापित करने के लिये मण्डल द्वारा सम्मति प्रदान की गई।
6. जयपुर के निकट कानोता में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निष्पादन हेतु सामुदायिक जैव चिकित्सा अपशिष्ट निष्पादन सुविधाएं बनाई गई।
7. उदयपुर में जैव चिकित्सा अपशिष्ट सामुदायिक रूप से निष्पादन हेतु स्थान का चयन किया गया एवं नगर पालिका उदयपुर द्वारा सामुदायिक जैव चिकित्सा अपशिष्ट निष्पादन सुविधाओं हेतु कार्यादेश दिया गया।

जन-सुनवाई

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा दिनांक 10.4.97 को जारी अधिसूचना के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित प्रस्तावित उद्योगों/परियोजनाओं के संदर्भ में जन-सुनवाई का आयोजन किया गया :-

क्र.सं.	इकाई का नाम	दिनांक
1.	क्रेब ट्री क्वाटेक, भिवाड़ी	10.02.2003
2.	श्रीमती दरिया कंवर (माइन) लिथारिया, पाली	17.04.2002
3.	श्रीमती गणवति देवी (माइन) लिथारिया, पाली	17.04.2002
4.	जे.के. व्हाईट सीमेंट वर्क्स, ग्राम थाब, जिला बाड़मेर	27.05.2002
5.	ग्रेसिम इंडस्ट्रीज (जिप्सम माइन)बाड़मेर	27.05.2002
6.	जे.के. कारपो. (40 मेगावाट पावर प्लांट) सिरोही	25.09.2002
7.	आर.एस.एम.डी.सी. माइन, रानेडी, बीकानेर	20.10.2002
8.	मरुधर पावर, बीकानेर	25.02.2003

प्रस्तावित उद्योगों की स्थापना के संबंध में मण्डल द्वारा 8 सिफरिशें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार तथा 124 सिफारिशें पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार को प्रेषित की गई।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार को की गई सिफारिश की दिनांक
1.	मै. साबू सीमेंट प्रा. लिमिटेड, तहसील-जैतारण, पाली	18.04.2002
2.	मै. नेवली लिगनाईट कारपो. लिमिटेड (2250 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट) बीकानेर	10.10.2002
3.	मै. नेवली लिगनाईट कारपो. लिमिटेड (माईनिंग) बीकानेर	10.10.2002
4.	मै. आर.एस.एम.डी.सी. माईनिंग प्रोजेक्ट, रानेडी, बीकानेर	04.12.2002
5.	मै. श्रीमती दरियाव कंवर, लिथारिया, पाली	20.01.2003
6.	मै. श्रीमती गणपति देवी, लिथारिया, पाली	20.01.2003
7.	मै. जे.के. व्हाईट सीमेन्ट, ग्राम थाब, तहसील पंचपदरा, बाड़मेर	21.03.2003
8.	मै. जे.के. कारपो. लिमिटेड (सीमेन्ट), सिरोही	28.03.2003

क्र. सं.	परियोजना का नाम	पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार को की गई सिफारिश की दिनांक
1.	एस.के. सेलटेक्स	27.04.2002
2.	श्रीमती शांति गोदारा	27.04.2002
3.	हंसराज गोदारा	27.04.2002
4.	मनीष स्वामी	27.04.2002
5.	शेरसिंह यादव	29.04.2002
6.	रामप्रकाश यादव	29.04.2002
7.	ललित दीक्षित	02.05.2002
8.	धर्मेन्द्र कुमार शर्मा	02.05.2002
9.	महरुद्दीन	02.05.2002
10.	जकिर हुसैन	02.05.2002
11.	हनुमानसिंह	02.05.2002
12.	पदमचन्द डाटा	29.05.2002
13.	सूरजराम सैनी	04.06.2002
14.	घनश्याम गुर्जर	04.06.2002
15.	श्रीमती ओमवती	04.06.2002
16.	कालूराम मीणा	04.06.2002
17.	महेन्द्रसिंह	04.06.2002
18.	अभयसिंह	04.06.2002
19.	खनिज श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि.	04.06.2002
20.	रामोवतार शर्मा	04.06.2002
21.	उमरावसिंह	04.06.2002
22.	रत्तिराम गुप्ता	04.06.2002
23.	सोहनलाल सैनी	04.06.2002
24.	मामराज सैनी	04.06.2002
25.	सुन्दर राम यादव	04.06.2002
26.	महेन्द्र सिंह	04.06.2002
27.	मेहरुद्दीन	04.06.2002

28.	मोहनलाल गुप्ता	04.06.2002
29.	दयाराम यादव	04.06.2002
30.	अशोक सोमानी	04.06.2002
31.	टोडरमल सैनी	04.06.2002
32.	महादेव प्रसाद	04.06.2002
33.	नबी खान	04.06.2002
34.	लेखराम	04.06.2002
35.	प्रदीप कुमार जैन	04.06.2002
36.	नूर हुसैन	04.06.2002
37.	लक्ष्मी देवी	04.06.2002
38.	रामावती खण्डेलवाल	04.06.2002
39.	शिवकरण सिंह	04.06.2002
40.	सुनील कुमार अग्रवाल	04.06.2002
41.	करणसिंह गुर्जर	04.06.2002
42.	प्रभुसिंह गुर्जर	04.06.2002
43.	मंजू शर्मा	04.06.2002
44.	पराग वालेचा	04.06.2002
45.	सुरेन्द्रसिंह	22.06.2002
46.	ओम प्रकाश सैनी	22.06.2002
47.	सरीना भादू	12.07.2002
48.	सुनील भादू	12.07.2002
49.	राजेन्द्रसिंह यादव	14.10.2002
50.	ओम प्रकाश यादव	14.10.2002
51.	महिपाल सिंह यादव	14.10.2002
52.	राम निवास	14.10.2002
53.	विक्रमसिंह यादव	14.10.2002
54.	श्रीमती कमलेश यादव	14.10.2002
55.	रोहिताश कुमार शर्मा	14.10.2002
56.	श्रीमती पिस्ता देवी	14.10.2002
57.	जिनेन्द्र कुमार	14.10.2002

58.	कु. प्रियंका गर्ग	14.10.2002
59.	श्री प्रियंक गर्ग	14.10.2002
60.	श्रीमती आशा गोखरू	14.10.2002
61.	श्रीमती प्रेमलता गर्ग	14.10.2002
62.	श्री हुकुम सिंह गर्ग	14.10.2002
63.	श्रीमती अख्तरी बेगम	14.10.2002
64.	नरेश यादव	14.10.2002
65.	मुकेश यादव	14.10.2002
66.	जितेन्द्र सिंह	14.10.2002
67.	जगदीश सिंह	14.10.2002
68.	प्रवीण कुमार जैन	14.10.2002
69.	रितु जैन	14.10.2002
70.	वीरु रोघा	14.10.2002
71.	शेरसिंह यादव	14.10.2002
72.	रामप्रकाश यादव	14.10.2002
73.	किशन लाल मीणा	14.10.2002
74.	राजकुमार डाटा	14.10.2002
75.	इलियास खान	14.10.2002
76.	आर.के. मार्मो स्टोन्स (प्रा.) लि.	18.10.2002
77.	सुरेश कालरा	14.10.2002
78.	राकेश चन्द्र शर्मा	16.01.2002
79.	अजय कुमार शर्मा	16.01.2002
80.	ए.आर. बद्रर्स (प्रा.) लि.	16.01.2002
81.	चांदमल अग्रवाल	16.01.2002
82.	जैन स्टोन क्रशिंग कम्पनी	14.10.2002
83.	भगवान दास मंगल	20.12.2002
84.	प्रदीप यादव	20.12.2002
85.	राधेश्याम यादव	20.12.2002
86.	पोहप सिंह यादव	20.12.2002

87.	सोहनलाल यादव	20.12.2002
88.	करण यादव	20.12.2002
89.	रामावतार यादव	20.12.2002
90.	श्रीमती प्रतिभा यादव	20.12.2002
91.	सुभाष चन्द	23.12.2002
92.	हिन्दुस्तान मार्बल	23.12.2002
93.	रामस्वरूप सोडानी	23.12.2002
94.	सूबे सिंह चौधरी	23.12.2002
95.	नरेन्द्र कुमार गुप्ता	23.12.2002
96.	कमला देवी	23.12.2002
97.	सुरेश कुमार अग्रवाल	23.12.2002
98.	टिलवाड मार्बल	23.12.2002
99.	संतोष खेतान	23.12.2002
100.	दिनेश खेतान	23.12.2002
101.	सुआ देवी खेतान	23.12.2002
102.	आशा देवी खेतान	23.12.2002
103.	कौशल्या देवी	23.12.2002
104.	पारस जैन	23.12.2002
105.	सी.जे.एम. मिनरल्स	23.12.2002
106.	बल्लभ दास माहेश्वरी	23.12.2002
107.	ओम प्रकाश गुप्ता	23.12.2002
108.	किरण माहेश्वरी	23.12.2002
109.	अतुल पाटनी	23.12.2002
110.	प्रभु दयाल पुरोहित	23.12.2002
111.	प्रदीप पारीक	23.12.2002
112.	अमरचंद कुमावत	23.12.2002
113.	रतनदेवी काला	23.12.2002
114.	इन्द्रा शर्मा	23.12.2002
115.	बज किशोर शर्मा	23.12.2002

116. श्रीमती सुषमा देवी 28.02.2003

117. श्री राजेश कुमार 28.02.2003

118. उर्मिला देवी 28.02.2003

119. राजकुमार मित्तल 20.03.2003

120. नीरज मित्तल 20.03.2003

121. टीकाराम 20.03.2003

122. मंगलम सीमेंट, मोडक, कोटा 17.01.2003

123. मै. राजस्थान स्टेट पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, मथनिया जोधपुर 17.05.2002

124. मै. सूरतगढ थर्मल पावर टी.पी.एस. 1250 मेगावाट, श्री गंगानगर 25.05.2002

कानूनी कार्यवाही

के अन्तर्गत वर्ष 2002-2003 में दायर किये गये वादों का विवरण :

प्रावधान जिसके अन्तर्गत मुकदमें दायर किये गये	वर्ष के दौरान दायर मुकदमों की कुल संख्या	पक्ष में निर्णित मुकदमों की कुल संख्या	विपक्ष में निर्णित मुकदमों की कुल संख्या
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जल अधिनियम 1974 की धारा 33	174	03*	00
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत वायु अधिनियम, 1981 की धारा 22 ए	06	03	15**

* न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डनायक, उदयपुर ने राज्य मण्डल बनाम मैसर्स गुलाब आईल प्रोडेक्ट्स लिमिटेड, फतेहनग उदयपुर में अपने निर्णय दिनांक 28.11.2002 के जरिये राज्य मण्डल के पक्ष में निषेधाज्ञा पारित करते हुए यह आदे दिये कि यह उद्योग राज्य मण्डल की सम्मति के बाद ही कार्य करेगा तथा इसका निस्त्राव मण्डल मानकों के अनुरु होगा। इसी प्रकार इसी न्यायालय में क्रमशः मैसर्स मारुति ग्रेनाईट एवं मार्बल प्रा.लि., उदयपुर एवं मैसर्स ओरियेन्ट पैले एवं रिसोर्ट उदयपुर, के विरुद्ध भी दिनांक 3.11.2002 को राज्य मण्डल के पक्ष में निषेधाज्ञा पारित करते हुए यह आदे दिये कि यह उद्योग राज्य मण्डल की सम्मति के बाद ही कार्य करेगा तथा इसका निस्त्राव मण्डल मानकों के अनुरु होगा।

** माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के समक्ष सभी मुकदमों में मण्डल के विरुद्ध दिये गये निर्णय को अपरस्त क हेतु अपील दायर की गई।

मण्डल द्वारा वर्ष 2002-2003 के दौरान 35 इकाइयों के विरुद्ध जल अधिनियम 1974 की धारा 33 (अ) एवं वायु अधिनि की धारा 31 (अ) के अन्तर्गत निर्देश जारी किये गये।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

1. विश्व बैंक की सहायता से औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना के अन्तर्गत राज्य मण्डल के भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची

क्र. सं.	मोड्यूल	अवधि से	तक	प्रशिक्षण देने वाली संस्था अधिकारी का नाम	प्रशिक्षण में भाग लेने वाले
1.	इक्युप्मेन्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग, टी.ओ.सी. अनेलाईजर	29.04.2002	03.05.2002	मै स्वान एनवायरमेन्ट प्रा.लि. हैदराबाद ट्रेनिंग एट जयपुर	1. श्री एम.बी. शर्मा, वैज्ञा. अधि. 2. श्री ए.के. शर्मा, कनि. वैज्ञा. अधि. 3. श्री आर.पी. वर्मा, कनि. वैज्ञा. अधि. 4. श्री एन.के. माथुर, वैज्ञा. अधि.
2.	इक्युप्मेन्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग, ए ए एस	06.05.2002	10.05.2002	मै न्यू लैव इक्युप्मेंट कम्पनी प्रा.लि. ठाणे ट्रेनिंग एट जयपुर	1. श्री आर.के. गौड, वरि.वैज्ञा.अधि. 2. श्री एच.एम. माथुर, वैज्ञा. अधि. 3. श्री ए.के. जैन, कनि. वैज्ञा.अधि. 4. श्री पी.सी. गुर्जर, कनि. वैज्ञा.अधि.
3.	स्टेण्डर्ड प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर ऑफ वर्ल्ड बैंक	08.04.2002	12.04.2002	प्रो. फ्यूद मेहबूब नेशनल इंस्टीट्यूस ऑफ फाईनेन्सियल मैनेजमेंट, फरीदाबाद	1. श्री सी.एस. रत्नासामी, सदस्य सचिव 2. श्री डी.सी. शर्मा, वरि. वैज्ञा. अधि. 3. श्री ओम प्रकाश, वरि. लेखाधिकारी

2. अन्य प्रशिक्षण

क्र. सं.	प्रशिक्षण का विषय	अवधि से	तक	प्रशिक्षण में भाग लेने वाले
1.	पर्सनल एफिसियेन्सी एण्ड टाइम मैनेजमेंट	2.9.02	2.9.02	श्री आर.के. पारीक, विधि अधिकारी
2.	पर्सनल एफिसियेन्सी एण्ड टाइम मैनेजमेंट	2.9.02	3.9.02	श्री आर.के. मण्डावत, सहायक अभियन्ता
3.	ए.ई.आई. सोर्स सैम्पलिंग टेक्निक्स, चेन्नई	10.12.02	20.12.02	श्री वीर सिंह बृजवासी, सहायक अभियन्ता
4.	पोजिटिव एण्ड क्रियेटिव थिंकिंग, जयपुर	28.2.03	—	श्री एम.एम. गोयल, पर्यावरण अभियन्ता
5.	पोजिटिव एण्ड क्रियेटिव थिंकिंग, जयपुर	28.2.03	—	श्री डी.सी. शर्मा, अधिक्षण वैज्ञानिक अधिकारी
6.	इफैक्टिव सैल्फ मैनेजमेंट	12.2.03	—	श्री ए.एल. माथुर, पर्यावरण अभियन्ता
7.	आर्ट ऑफ लिविंग इण्डियन एण्ड रोमन फिलासफी	13.3.03	—	श्री ए.के. भार्गव, वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता
8.	आर्ट ऑफ लिविंग इण्डियन एण्ड रोमन फिलासफी	13.3.03	—	श्री एम.सी. रस्तोगी, पर्यावरण अभियता

9.	आर्ट ऑफ लिविंग इण्डियन एण्ड रोमन फिलासफी	13.3.03	—	श्री ए.के. माहेश्वरी, अधिक्षण वैज्ञानिक अधिकारी
10.	इफेक्टिव सैल्फ मैनेजमेंट	12.3.03	—	श्री वी.के. मालवीय, वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता
11.	एयर क्वालिटी लैब मैनेजमेंट इनक्लूडिंग क्वालिटी एश्योरेन्स, नई दिल्ली	13.3.03	17.3.03	श्री एच.एम. माथुर, वैज्ञानिक अधिकारी
12.	डिटरमिनेशन ऑफ इम्पैक्ट ऑन हैल्थ एण्ड वेजीटेशन ड्यू टू एयर पोल्यूशन	10.3.03	14.3.03	श्री बी.एस. शर्मा सहायक अभिन्यता
13.	डिटरमिनेशन ऑफ इम्पैक्ट ऑन हैल्थ एण्ड वेजीटेशन ड्यू टू एयर पोल्यूशन	10.3.03	14.3.03	श्री आर.के. शर्मा, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
14.	सैम्पलिंग एण्ड अनालीसिस मैथड्स फॉर एम्बियन्ट एयर पोल्यूटेन्टस एण्ड सोर्स एमीशन इनक्लूडिंग साइट सलैक्शन, गाइडलाइन एण्ड इन्टरप्राटिशन ऑफ एयर क्वालिटी डाटा	24.3.03	4.4.03	श्री महावीर मेहता, सहायक अभियन्ता
15.	सैम्पलिंग एण्ड अनालीसिस मैथड्स फॉर एम्बियन्ट एयर पोल्यूटेन्टस एण्ड सोर्स एमीशन इनक्लूडिंग साइट सलैक्शन, गाइडलाइन एण्ड इन्टरप्राटिशन ऑफ एयर क्वालिटी डाटा	24.3.03	4.4.03	श्री सी.एस. शर्मा कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
16.	सैम्पलिंग एण्ड अनालीसिस मैथड्स फॉर एम्बियन्ट एयर पोल्यूटेन्टस एण्ड सोर्स एमीशन इनक्लूडिंग साइट सलैक्शन, गाइडलाइन एण्ड इन्टरप्राटिशन ऑफ एयर क्वालिटी डाटा	24.3.03	4.4.03	श्री ए.के. जैन, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
17.	एक्सीडेन्ट एण्ड इमर्जेन्सी मैनेजमेन्ट	24.3.03	28.3.03	श्री आर.सी. तोमर, सहायक अभियन्ता
18.	ए क्यू सी वर्कशॉफ ऑन एम्बियन्ट एयर क्वालिटी	13.3.03	4.4.03	श्री अरुण शर्मा, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
19.	ए क्यू सी वर्कशॉफ ऑन एम्बियन्ट एयर क्वालिटी मेजरमेंट मैथड	31.3.03	4.4.03	श्री सी.एस. शर्मा, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
20.	एयर पोल्यूशन मीटिओरोलोजी एण्ड एयर क्वालिटी मोनिटरिंग	24.2.03	28.2.03	श्री के.सी. गुप्ता, सहायक अभियन्ता
21.	क्लीन टैक्नोलोजी एण्ड पोल्यूशन प्रिवेंशन इन एयर पोल्यूशन कंट्रोल	27.1.03	31.1.03	श्री राजीव मोहनोत, सहायक अभियन्ता
22.	क्लीन टैक्नोलोजी एण्ड पोल्यूशन प्रिवेंशन इन एयर पोल्यूशन कंट्रोल	27.1.03	31.1.03	श्री आर.के. मण्डावत, सहायक अभियन्ता

विविध गतिविधियां

1. मण्डल द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग से विश्व बैंक के कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 'जोनिंग एटलस' फोर साइटिंग ऑफ इण्डस्टीज (पर्यावरणीय दृष्टि से) परियोजना पर कार्य किया रहा है। परियोजना के अन्तर्गत कोटा एवं बारां जिलों के जोनिंग एटलस का कार्य पूर्ण कर इसकी रिपोर्ट का प्रारूप केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, दिल्ली को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर दिया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत जयपुर, भीलवाड़ा एवं सिरोही जिलों के जोनिंग एटलस का कार्य चालू किया गया।

   विश्व बैंक एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के सहयोग में ''प्लानिंग स्टूडियो'' बनाया गया है जिसके अन्तर्गत 23.65 लाख के ''जी.आई.एस.'' व अन्य आधुनिक उपकरण प्राप्त कर स्थापित किये गये।

2. मण्डल द्वारा केन्द्रीय सरकार की सहायता से प्रारम्भ की गई एक परियोजना (एन.डब्ल्यू.एम.पी.) के अन्तर्गत राज्य के चुनिंदा स्थानों पर सतही एवं भूगर्भिय जल स्त्रोतों के जल की गुणवत्ता के आकलन के लिये नियमित रूप से जल के नमूनों का एकत्रिकरण एवं विश्लेषण किया जा रहा है।

3. मण्डल द्वारा केन्द्रीय सरकार की सहायता से संचालित राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम (एन.ए.एम.पी.) के अन्तर्गत राज्य के 5 शहरों में चुनिन्दा स्थानों पर पीरवेशीय वायु की गुणवत्ता की मोनिटरिंग का कार्य किया जा रहा है।

4. विश्व बैंक की सहायता से राज्य मण्डल के सुदृढ़ीकरण के लिए जारी परियोजना के अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्न के लिए सहायता प्राप्त रही है :-

   अ. प्रशिक्षण

   ब. मोनिटरिंग एवं विश्लेषण उपकरण

   स. प्रयोगशाला सुविधाएं

   द. कम्पयूटरीकरण (मैनेजमेंट इनफोरेमेशन सिस्टम)

राज्य मण्डल में अब तक 359.04 लाख मूल्य के 37 श्रेणी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रयोगशाला सुविधाओं के उन्नतिकरण हेतु लघु सिविल कार्यों एवं उपकरणों के लिये रुपये 427.52 करोड़ की स्वीकृति प्रदान करते हुए रुपये 421.85 लाख जारी किये गये।

राज्य मण्डल द्वारा अब तक प्रयोगशाला सुदृढ़ीकरण सुविधाओं पर लगभग रुपये 348.89 लाख व्यय कर यह कार्य पूरा कर लिया गया है।

राज्य मण्डल में कम्प्यूटीकरण एवं वेबसाइट डवलपमेंट के लिये भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा रुपये 165 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए 148.5 लाख रुपये जारी किये। राज्य मण्डल ने उक्त कार्य के लिए राजस्थान स्टेट एजेन्सी फॉर कम्प्यूटर सर्विसेज (राजकोम्प) से अनुबंध करार किया, जिसके अन्तर्गत 'राजकोम्प' द्वारा राज्य मण्डल की कार्यवाही प्रक्रिया का सोफ्टवेयर बनाया गया। कम्प्यूटर लगाने व सोफ्टवेयर के निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत कुल 110.90 लाख रुपये व्यय किये गये। राज्य मण्डल की वेवसाइट www.rpcb.gov.in का लोकार्पण मण्डल की माननीय अध्यक्ष महोदया श्रीमती कुशलसिंह द्वारा दिनांक 5 जून 2002 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किया गया।

5. राज्य मण्डल द्वारा सम्मति के बिना चल रही औद्योगिक इकाईयों को सम्मति लेने के लिए बाध्य करने हेतु वर्ष के दौरान 15 विशेष अभियान चलाये गये, जिसके अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विभिन्न स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया

गया। शिविरों के दौरान सम्मति आवेदन पत्र पूर्ण करने एवं संबंधित जानकारी देने में पूर्ण सहयोग किया गया। राज्य मण्ड के प्रयासों के फलस्वरूप 92 उद्योगों ने शिविरों के दौरान सम्मति हेतु आवेदन किया।

6. राज्य मण्डल द्वारा कनोडिया महाविद्यालय, जयपुर के सहयोग से निम्नलिखित अध्ययन किये गये एवं रिपोर्ट प्रकाशित व गई :-

(1) ''इन्वेंटराईजेशन ऑफ म्यूनिसिपल सोलिड वेस्ट इन राजस्थान-ए केस स्टडी ऑफ इट्स कम्पैक्ट्स इन जयपुर।

(2) ''इन्वेंटराईजेशन ऑफ मेडिकल वेस्ट इन जयपुर अलोंग विद इट्स इम्पैक्ट्स एण्ड प्रिप्रेशन ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमे प्लान

(3) ''इन्वेंटराईजेशन ऑफ व्हीकुलर पोल्यूटिंग एयर पोल्यूटिंग सोर्स इन राजस्थान विद स्पेशल रैफरेंस टू जयपुर।

(4) ''दी स्टडी ऑफ इन्डोर पोल्यूशन इन एंड अराउंड जयपुर।

वित्त एवं लेखे

वर्ष 2002-2003 के दौरान मण्डल की आय एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है :-

आय			व्यय		
क्र. सं.	विवरण	आय (लाख रुपये)	क्र. सं.	विवरण	आय (लाख रुपये)
1.	के.प्र.नि. मण्डल से प्राप्त अनुदान	3.22	1.	वेतन एवं अन्य स्थापना व्यय	309.61
2.	जल उपकर	59.31	2.	कार्यालय व्यय	43.51
3.	सम्मति शुल्क	449.28	3.	प्रयोगशाला व्यय	6.97
4.	बैंक व पी.डी. खाते से ब्याज	93.60	4.	विज्ञापन एवं प्रकाशन	3.17
5.	अग्रिमों से ब्याज	0.68	5.	अनुसंधान एवं अग्रिम	177.40
6.	विविध आय	1.22	6.	ऋण एवं अग्रिम	12.67
7.	वसूली	8.74	7.	पूंजीगत व्यय	57.39
8.	विश्व बैंक	36.96			
9.	एन.जी.सी.	28.83			
	योग	**681.84**		**योग**	**610.72**

वर्ष के दौरान आई.पी.पी.पी. (विश्व बैंक) परियोजना के अन्तर्गत कुल 570.35 लाख रुपये प्राप्त हुए जिनमें से रा मण्डल द्वारा 459.59 लाख रुपये का व्यय किया गया। वर्ष के दौरान जोनिंग एटलस परियोजना के अन्तर्गत 33,228 रुपये व्यय किया गया।

वर्ष के दौरान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने जल उपकर अधिनियम 1977 के अन्तर्गत 3,26,63,108 रुपये एकत्रित वि एवं 3,26,63,108 रुपये केन्द्रीय सरकार को भिजवाये। केन्द्र सरकार की जल उपकर पुर्नभरण योजना के अन्तर्गत मण्डल केन्द्र सरकार से 59,31,333 रुपये का पुर्नभरण प्राप्त हुआ।

मण्डल का संगठनात्मक स्वरूप

(दिनांक 31.3.2003 को)

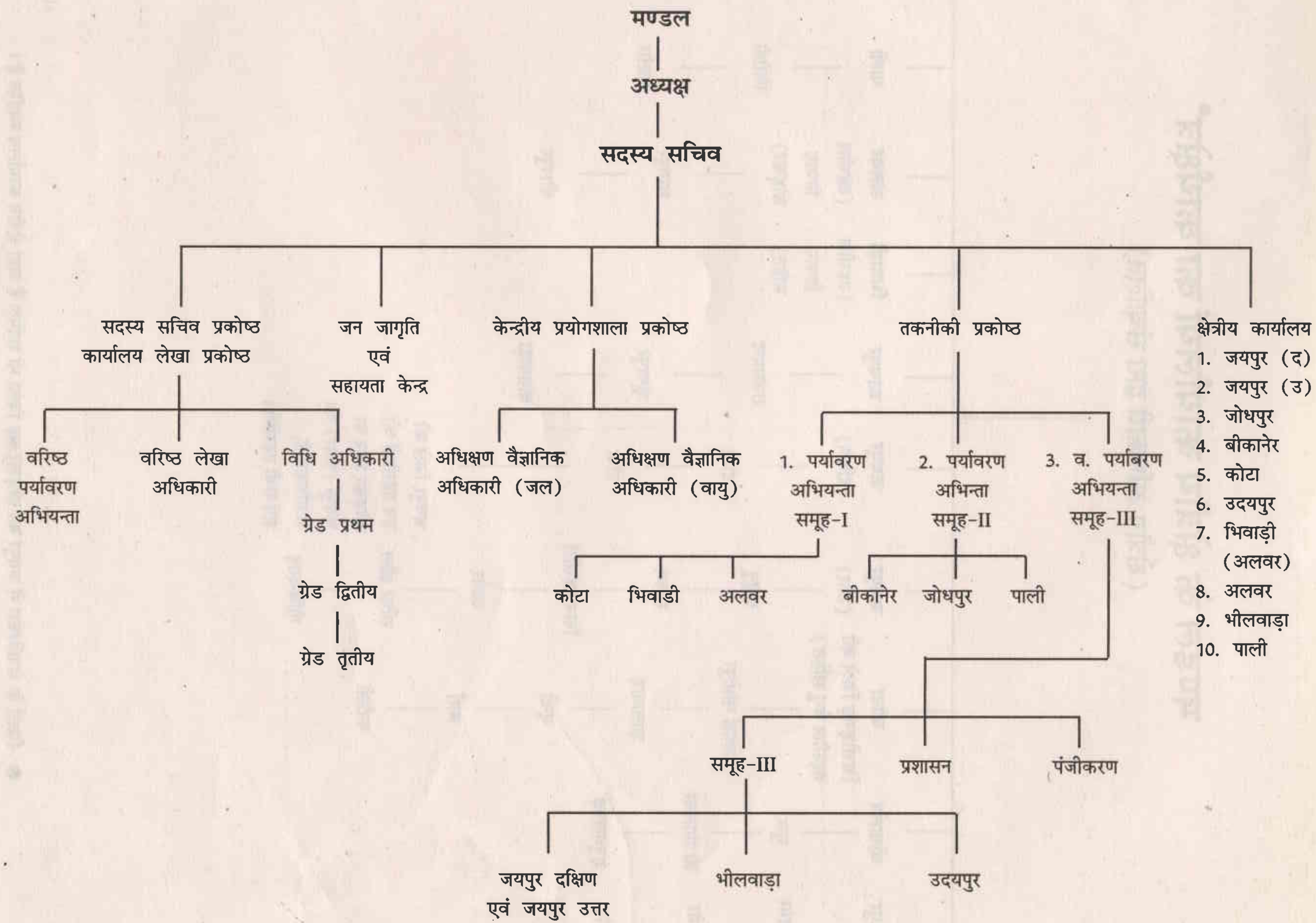

मण्डल के क्षेत्रीय कार्यालयों का कार्यक्षेत्र•

(क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा संचालित)

- **जोधपुर**
  - जैसलमेर
  - बाड़मेर
  - नागौर
- **बीकानेर**
  - चुरू
  - श्री गंगानगर
  - हनुमानगढ़
- **कोटा चित्तौड़गढ़ जिले की तहसील बेगू सहित)**
  - सवाई माधोपुर
  - झालावाड़
  - बून्दी
  - बाराँ
  - करौली
- **जयपुर (उत्तर)**
  - झुंझुनू
  - सीकर
  - निम्न तहसीलें
  - आमेर
  - साँभर झील
  - गोविन्दगढ़
- **जयपुर (दक्षिण)**
  - दौसा
  - टोंक
  - जयपुर जिले की उन तहसीलों को छोड़कर जिन पर जयपुर (उत्तर) का क्षेत्राधिकार है, शेष सभी तहसीलें।
- **उदयपुर**
  - राजसमन्द
  - डूंगरपुर
  - बांसवाड़ा
- **भिवाड़ी** (तहसील तिजारा सहित)
- **अलवर** (तहसील तिजारा छोड़कर)
  - भरतपुर
  - धौलपुर
- **पाली**
  - सिरोही
  - जालौर
- **भीलवाड़ा**
  - अजमेर
  - चित्तौड़गढ़ (तहसील बेगू को छोड़कर)

• जिलों के क्षेत्राधिकार में जयपुर को छोड़कर वह जिला भी शामिल हैं जहां क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित है।